तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3

30|12|24

आदेश

अभिलेख उपस्थापित।

जमाबंदी रैयत दीपन अहीर पिता–नेमन अहीर मौजा–द्वारी द्वारा दिनांक–18.11.2016 एवं 05.03.2020 को उपस्थित होकर कागजात प्रस्तुत किया जिसमें सादा हुकुमनामा एवं सरकारी रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया जो अभिलेख में संलग्न है।

संबधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा उपरोक्त भूमि का राजस्व जाँच प्रतिवेदन एवं चेक सिलिप प्रस्तुत किया गया। जाँच प्रतिवेदन एवं जमाबंदी रैयत द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों के अंतर्गत जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होता है:–

1. खाता सं0–186/170, प्लॉट–3471, 835, 4483, एवं 4495 क्रमशः रकबा–1.28, 0.26, 2.44, एवं 1.28 ए0 कुल रकबा–5.26 ए0 की भूमि गैरमजरूआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है।
2. भूमि जमाबंदीदार को सादा हुकुमनामा/पट्टा/बन्दोबस्ती/निबंधित केवाला से प्राप्त है। जिसकी जमाबंदी मौजा–द्वारी के पंजी–II के जिल्द संख्या–III के पृष्ट संख्या–86 पर जमाबंदी रैयत दीपन अहीर पिता–नेमन अहीर के नाम से कायम है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी खोलने का आधार अंकित नहीं है, न ही सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज है। पंजी–II में छेड़–छाड़ का प्रतिवेदन किया गया है।
3. लगान–प्रथम रसीद वर्ष–1973–74 अंतिम रसीद वर्ष–1996–97 तक निर्गत है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं राजस्व कागजातों के अवलोकनोंपरांत तथा राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4H के तहत उक्त मापदण्डों के आलोक से स्पष्ट होता है कि भूमि संदेहात्मक है। मौजा–द्वारी थाना सं0–71 खाता सं0–186/170 प्लॉट सं0–3471, 835, 4483, एवं 4495 क्रमशः रकबा–1.28, 0.26, 2.44, एवं 1.28 ए0 कुल रकबा–5.26 ए0 को रद्द करने हेतु अनुशंसा कि जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमरिया को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

30|12|24

अंचल अधिकारी,
गिद्धौर।

अंचल अधिकारी,
गिद्धौर।

Digitally signed by ANANT SHAYNAM VISHWAKARMA
Date: 2024.12.30 21:51:05 +05:30
Location: 192.168.51.75

Scanned with OKEN Scanner